

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
भारतीय स्टेट बैंक बनाम राजेन्द्र कुमार चन्देल
प्रकरण संख्या 220/2017 (धारा 14 सिविल रिट आर्जेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
27.09.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से काफी समय से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है।</p> <p>प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से धारा 14 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पत्रावली में 13(2) के नोटिस की ट्रेकिंग रिपोर्ट/रजिस्टर्ड एडी प्रस्तुत नहीं की गई थी एवं आदिनांक तक पेश नहीं की गई है।</p> <p>अतः धारा 14 सरफेशी अधिनियम-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दस्तावेजों के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">५० जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	